

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक एफ.13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या-27) की धारा- 6 (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदनाम के समक्ष अंकित क्षेत्रों के लिये उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एतद् द्वारा "पंजीयन अधिकारी (Registering officer) नियुक्त करती है :-

क्रं0सं0	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिये नियुक्त किया गया है।
1	2	3
1	समस्त संयुक्त श्रम आयुक्त (मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर।	सम्पूर्ण राजस्थान
2	संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर	जयपुर जिला
3	संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर एवं जैसलमेर जिला
4	संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा	कोटा जिला
5	संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर	उदयपुर जिला
6	संयुक्त श्रम आयुक्त, अजमेर	अजमेर जिला (ब्यावर व मसूदा उपखण्ड को छोडकर)
7	संयुक्त श्रम आयुक्त, बीकानेर	बीकानेर जिला
8	संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर	भरतपुर जिला
9	उप श्रम आयुक्त, अलवर	अलवर जिला
10	उप श्रम आयुक्त, भीलवाडा	भीलवाडा जिला
11	उप श्रम आयुक्त, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिला
12	उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर जिला
13	उप श्रम आयुक्त, पाली	पाली जिला
14	सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाडा	बांसवाडा जिला
15	सहायक श्रम आयुक्त, नागौर	नागौर जिला
16	सहायक श्रम आयुक्त, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर एवं करौली जिला
17	सहायक श्रम आयुक्त, सीकर	सीकर जिला
18	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक	टोंक जिला
19	श्रम कल्याण अधिकारी, सिरोही	सिरोही जिला
20	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर एवं मसूदा उपखण्ड
21	श्रम कल्याण अधिकारी, बाडमेर	बाडमेर जिला
22	श्रम कल्याण अधिकारी, बांरा	बांरा जिला
23	श्रम कल्याण अधिकारी, बून्दी	बून्दी जिला
24	श्रम कल्याण अधिकारी, चूरु	चूरु जिला
25	श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा	दौसा जिला
26	श्रम कल्याण अधिकारी, घौलपुर	घौलपुर जिला

27	श्रम कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर	डूंगरपुर जिला
28	श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ	हनुमानगढ जिला
29	श्रम कल्याण अधिकारी, जालौर	जालौर जिला
30	श्रम कल्याण अधिकारी, झालावाड	झालावाड
31	श्रम कल्याण अधिकारी, झुन्झुनु	झुन्झुनु जिला
32	श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द	राजसमन्द जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक एफ.13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम,1996 (1996 का अधिनियम संख्या-27) की धारा- 9 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदनाम के समक्ष अंकित क्षेत्रों के लिये उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एतद् द्वारा "अपीलीय अधिकारी" (Appellate Authority) नियुक्त करती है :-

क्र०सं०	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिये नियुक्त किया गया है।
1	2	3
1	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय, जयपुर	जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर तथा अजमेर जिला
2	संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर	अलवर, सीकर, दौसा तथा झुन्झुनू जिला
3	संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा	बून्दी, झालावाड एवं बांरा जिला
4	संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर	बाडमेर, पाली, सिरोही एवं जालौर जिला
5	संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर	राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिला
6	संयुक्त श्रम आयुक्त, अजमेर	भीलवाडा, नागौर एवं टोंक जिला
7	संयुक्त श्रम आयुक्त, बीकानेर	चूरू, हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिला
8	संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर	सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या-27) की धारा- 42 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्रम आयुक्त, राजस्थान को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समस्त राज्य के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण के निरीक्षण के "मुख्य निरीक्षक" (Chief Inspector) के रूप में नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या-27) की धारा- 42 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उनके पदनाम के समक्ष अंकित क्षेत्र के लिए एतद्द्वारा "निरीक्षक" (Inspector) नियुक्त करती है :-

क्र०सं०	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिये नियुक्त किया गया है।
1	2	3
1	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय	सम्पूर्ण राजस्थान
2	समस्त संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय	सम्पूर्ण राजस्थान
3	समस्त उप श्रम आयुक्त, मुख्यालय	सम्पूर्ण राजस्थान
4	समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मुख्यालय	सम्पूर्ण राजस्थान
5	समस्त श्रम कल्याण अधिकारी, मुख्यालय	सम्पूर्ण राजस्थान
6	संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, जयपुर	जयपुर जिला
3	संयुक्त /सहायक श्रम आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर एवं जैसलमेर जिला
4	संयुक्त /सहायक श्रम आयुक्त, कोटा	कोटा जिला
5	संयुक्त /सहायक श्रम आयुक्त उदयपुर	उदयपुर जिला
6	संयुक्त /सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर	अजमेर जिला (ब्यावर व मसूदा उपखण्ड को छोडकर)
7	संयुक्त श्रम आयुक्त /श्रम कल्याण अधिकारी, बीकानेर	बीकानेर जिला
8	संयुक्त श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, भरतपुर	भरतपुर जिला
9	उप श्रम आयुक्त,/श्रम कल्याण अधिकारी अलवर	अलवर जिला
10	उप श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी भीलवाडा	भीलवाडा जिला
11	उप श्रम आयुक्त, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिला
12	उप श्रम आयुक्त,/श्रम कल्याण अधिकारी श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर जिला

13	उप श्रम आयुक्त, पाली	पाली जिला
14	सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाडा	बांसवाडा जिला
15	सहायक श्रम आयुक्त, नागौर	नागौर जिला
16	सहायक श्रम आयुक्त, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर एवं करौली जिला
17	सहायक श्रम आयुक्त, सीकर	सीकर जिला
18	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक	टोंक जिला
19	श्रम कल्याण अधिकारी, सिरोही	सिरोही जिला
20	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर एवं मसूदा उपखण्ड
21	श्रम कल्याण अधिकारी, बाडमेर	बांडमेर जिला
22	श्रम कल्याण अधिकारी, बांरा	बांरा जिला
23	श्रम कल्याण अधिकारी, बून्दी	बून्दी जिला
24	श्रम कल्याण अधिकारी, चूरु	चूरु जिला
25	श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा	दौसा जिला
26	श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर	धौलपुर जिला
27	श्रम कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर	डूंगरपुर जिला
28	श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ	हनुमानगढ जिला
29	श्रम कल्याण अधिकारी, जालौर	जालौर जिला
30	श्रम कल्याण अधिकारी, झालावाड	झालावाड
31	श्रम कल्याण अधिकारी, झुञ्जुनु	झुञ्जुनु जिला
32	श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द	राजसमन्द जिला
33	समस्त श्रम निरीक्षक, जयपुर	जयपुर जिला
34	समस्त श्रम निरीक्षक, जोधपुर	जोधपुर एवं जैसलमेर जिला
35	समस्त श्रम निरीक्षक, कोटा	कोटा जिला
36	समस्त श्रम निरीक्षक, उदयपुर	उदयपुर जिला
37	समस्त श्रम निरीक्षक, अजमेर	अजमेर जिला (ब्यावर व मसूदा उपखण्ड को छोडकर)
38	समस्त श्रम निरीक्षक, बीकानेर	बीकानेर जिला
39	समस्त श्रम निरीक्षक, भरतपुर	भरतपुर जिला
40	समस्त श्रम निरीक्षक, अलवर	अलवर जिला
41	समस्त श्रम निरीक्षक, भीलवाडा	भीलवाडा जिला
42	समस्त श्रम निरीक्षक, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिला
43	समस्त श्रम निरीक्षक, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर जिला
44	समस्त श्रम निरीक्षक, पाली	पाली जिला
45	समस्त श्रम निरीक्षक, बांसवाडा	बांसवाडा जिला
46	समस्त श्रम निरीक्षक, नागौर	नागौर जिला
47	समस्त श्रम निरीक्षक, सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर एवं करौली जिला
48	समस्त श्रम निरीक्षक, सीकर	सीकर जिला
49	समस्त श्रम निरीक्षक, टोंक	टोंक जिला
50	समस्त श्रम निरीक्षक, सिरोही	सिरोही जिला
51	समस्त श्रम निरीक्षक, ब्यावर	ब्यावर एवं मसूदा उपखण्ड
52	समस्त श्रम निरीक्षक, बाडमेर	बांडमेर जिला
53	समस्त श्रम निरीक्षक, बांरा	बांरा जिला
54	समस्त श्रम निरीक्षक, बून्दी	बून्दी जिला
55	समस्त श्रम निरीक्षक, चूरु	चूरु जिला

56	समस्त श्रम निरीक्षक, दौसा	दौसा जिला
57	समस्त श्रम निरीक्षक, धौलपुर	धौलपुर जिला
58	समस्त श्रम निरीक्षक, डूंगरपुर	डूंगरपुर जिला
59	समस्त श्रम निरीक्षक, हनुमानगढ	हनुमानगढ जिला
60	समस्त श्रम निरीक्षक, जालौर	जालौर जिला
61	समस्त श्रम निरीक्षक, झालावाड	झालावाड
62	समस्त श्रम निरीक्षक, झुन्झुनु	झुन्झुनु जिला
63	समस्त श्रम निरीक्षक, राजसमन्द	राजसमन्द जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) की धारा 5 के प्रयोजनार्थ सपठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड(जी) के अनुसरण में राज्य सरकार उपकर निर्धारण के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदनाम के समक्ष अंकित क्षेत्र के लिए एतद्वारा निर्धारण अधिकारी (Assessing officer) नियुक्त करती है :-

क्र०सं० 1	अधिकारी 2	क्षेत्र जिसके लिये नियुक्त किया गया है। 3
1	संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर	जयपुर जिला
2	संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर एवं जैसलमेर जिला
3	संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा	कोटा जिला
4	संयुक्त श्रम आयुक्त उदयपुर	उदयपुर जिला
5	संयुक्त श्रम आयुक्त, अजमेर	अजमेर जिला (ब्यावर व मसूदा उपखण्ड को छोडकर)
6	संयुक्त श्रम आयुक्त, बीकानेर	बीकानेर जिला
7	संयुक्त श्रम आयुक्त भरतपुर	भरतपुर जिला
8	उप श्रम आयुक्त अलवर	अलवर जिला
9	उप श्रम आयुक्त भीलवाडा	भीलवाडा जिला
10	उप श्रम आयुक्त, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिला
11	उप श्रम आयुक्त श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर जिला
12	उप श्रम आयुक्त, पाली	पाली जिला
13	सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाडा	बांसवाडा जिला
14	सहायक श्रम आयुक्त, नागौर	नागौर जिला
15	सहायक श्रम आयुक्त, सीकर	सीकर जिला
16	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक	टोंक जिला
17	सहायक श्रम आयुक्त, नागौर	नागौर जिला
18	सहायक श्रम आयुक्त, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर एवं करौली जिला
19	श्रम कल्याण अधिकारी, सिरोही	सिरोही जिला
20	श्रम कल्याण अधिकारी, बाडमेर	बाडमेर जिला
21	श्रम कल्याण अधिकारी, बांरा	बांरा जिला
22	श्रम कल्याण अधिकारी, बून्दी	बून्दी जिला
23	श्रम कल्याण अधिकारी, चूरु	चूरु जिला
24	श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा	दौसा जिला
25	श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर	धौलपुर जिला

26	श्रम कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर	डूंगरपुर जिला
27	श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ	हनुमानगढ जिला
28	श्रम कल्याण अधिकारी, जालौर	जालौर जिला
29	श्रम कल्याण अधिकारी, झालावाड	झालावाड
30	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर एवं मसूदा उपखण्ड
31	श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द	राजसमन्द जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक:14-7-2009:

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) की धारा 11 के प्रयोजनार्थ एवं सपठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड(एच) के अनुसरण में राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदनाम के समक्ष अंकित क्षेत्र के लिए एतद् द्वारा अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authority) नियुक्त करती है :-

क्र०सं० 1	अधिकारी 2	क्षेत्र जिसके लिये नियुक्त किया गया है। 3
1	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय, जयपुर	जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर तथा अजमेर जिला
2	संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर	अलवर, सीकर, दौसा तथा झुन्झुनू जिला
3	संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा	बून्दी, झालावाड एवं बांरा जिला
4	संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर	बाडमेर, पाली, सिरोही एवं जालौर जिला
5	संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर	राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिला
6	संयुक्त श्रम आयुक्त, अजमेर	भीलवाडा, नागौर एवं टोंक जिला
7	संयुक्त श्रम आयुक्त, बीकानेर	चूरू, हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिला
8	संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर	सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड फत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक: 14.7.2009

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) की धारा 3 के प्रयोजनार्थ एवं सपठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड(एफ) के अनुसरण में राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदनाम के समक्ष अंकित क्षेत्र के लिए एतद्वारा "उपकर संग्रहक(Cess Collector) नियुक्त करती है:-

क्र०सं० 1	अधिकारी 2	क्षेत्र जिसके लिये नियुक्त किया गया है। 3
1	सहायक श्रम आयुक्त, जयपुर	जयपुर जिला
2	सहायक श्रम आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर एवं जैसलमेर जिला
3	सहायक श्रम आयुक्त, कोटा	कोटा जिला
4	सहायक श्रम आयुक्त उदयपुर	उदयपुर जिला
5	सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर	अजमेर जिला (ब्यावर व मसूदा उपखण्ड को छोड़कर)
6	श्रम कल्याण अधिकारी, बीकानेर	बीकानेर जिला
7	श्रम कल्याण अधिकारी, भरतपुर	भरतपुर जिला
8	श्रम कल्याण अधिकारी, अलवर	अलवर जिला
9	श्रम कल्याण अधिकारी, भीलवाडा	भीलवाडा जिला
10	उप श्रम आयुक्त, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिला
11	उप श्रम आयुक्त श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर जिला
12	उप श्रम आयुक्त, पाली	पाली जिला
13	सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाडा	बांसवाडा जिला
14	सहायक श्रम आयुक्त, नागौर	नागौर जिला
15	सहायक श्रम आयुक्त, सीकर	सीकर जिला
16	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक	टोंक जिला
17	सहायक श्रम आयुक्त, नागौर	नागौर जिला
18	सहायक श्रम आयुक्त, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर एवं करौली जिला
19	श्रम कल्याण अधिकारी, सिरोही	सिरोही जिला
20	श्रम कल्याण अधिकारी, बाडमेर	बाडमेर जिला
21	श्रम कल्याण अधिकारी, बांरा	बांरा जिला
22	श्रम कल्याण अधिकारी, बून्दी	बून्दी जिला
23	श्रम कल्याण अधिकारी, चूरु	चूरु जिला
24	श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा	दौसा जिला
25	श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर	धौलपुर जिला

26	श्रम कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर	डूंगरपुर जिला
27	श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ	हनुमानगढ जिला
28	श्रम कल्याण अधिकारी, जालौर	जालौर जिला
29	श्रम कल्याण अधिकारी, झालावाड	झालावाड
30	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर एवं मसूदा उपखण्ड
31	श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द	राजसमन्द जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ 13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक:14.7.2009

प्रतिलिपि:—

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

श्रम विभाग

क्रमांक एफ.13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक:14-7-2009

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या-27) की धारा-42 (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.7.2009 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.9.2009 में हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

संशोधन

1. क्रम संख्या 12 के कॉलम सं० 2 में अंकित शब्द "उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर" के स्थान पर "श्रम कल्याण अधिकारी, श्रीगंगानगर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाते हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक: एफ13(7)श्रम/विधि/2009/
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 14-7-2009

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.13(25)श्रम/विधि/2008

जयपुर, दिनांक: 27 जुलाई, 2009

अधिसूचना

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का नियमन) नियम, 2009 के नियम 28 के साथ पठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-27) की धारा- 18 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन, इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, निम्नानुसार करती है:-

1. श्रम मंत्री, राजस्थान सरकार —अध्यक्ष
(i)राज्य सरकार के प्रतिनिधि
2. प्रमुख शासन सचिव, श्रम व नियोजन —सदस्य, पदेन
राजस्थान, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त या उनके द्वारा —सदस्य, पदेन
नामांकित वित्त विभाग में सचिव
4. अधिनियम की धारा 42(2) के अन्तर्गत —सदस्य, पदेन
नियुक्त मुख्य निरीक्षक(श्रम आयुक्त, राजस्थान)
5. (ii) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि —सदस्य, पदेन
केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी

(iii) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि

(iv) भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के नियोजकों के प्रतिनिधि

(श्रमिकों एवं नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की नियुक्ति पृथक से अधिसूचित की जावेगी)

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप सचिव

प्रतिलिपि:—

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. विशिष्ट सहायक, मान0 श्रम मंत्री राजस्थान सरकार
3. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम व नियोजन, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर
6. नियोजकों एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि
7. भवन निर्माताओं के प्रतिनिधि
8. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/ श्रम कल्याण अधिकारी
10. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.13(25)श्रम/विधि/2008

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 के नियम 28 के साथ पठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-27) की धारा- 18 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.7.2010, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दि0 3.8.2009 में किया गया है, द्वारा गठित राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को नियम 28(ii) तथा (iii) की अपेक्षानुसार, इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य नियुक्त करती है :-

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि

1. श्री बाबूलाल शर्मा
महामंत्री,राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजस्थान शाखा
ए-13, तुलसी नगर, शास्त्रीनगर, जयपुर
2. श्रीमती शशि धींवर
कार्यसमिति सदस्य,
राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ
155,'जे' ब्लॉक, सैक्टर-14, हिरणमगरी, उदयपुर।
3. श्री हरकेश बुकालिया
महामंत्री, राजस्थान निर्माण मजदूर संगठन
35, धूलेश्वर बाग, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के नियोजकों के प्रतिनिधि

1. श्री अनुराग शर्मा
उपाध्यक्ष, राजस्थान बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स एसोसिएशन
301, अनुकम्पा मैशन-प, एम. आई. रोड, जयपुर
2. श्री नरेन्द्र सोलंकी
अध्यक्ष, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन
नयापुरा, गली नं04, मण्डोर, जोधपुर
3. श्री एस.पी. गोयल
प्रबन्ध समिति सदस्य, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
6-बी, श्रीजी चैम्बर्स पुरोहित गार्डन, न्यू कॉलोनी, जयपुर

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप सचिव

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को अधिसूचना की सॉफ्ट कॉपी सहित राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

2. विशिष्ट सहायक, मान0 श्रम मंत्री राजस्थान सरकार
3. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम व नियोजन, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर
7. कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, जटिया हिल्स, दाता नगर, अजमेर।
8. श्री बाबूलाल शर्मा, महामंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजस्थान शाखा ए-13, तुलसी नगर, शास्त्रीनगर, जयपुर
9. श्रीमती शशि धींवर कार्यसमिति सदस्य, राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ 155, 'जे' ब्लॉक, सैक्टर-14, हिरणमगरी, उदयपुर।
10. श्री हरकेश बुकालिया, महामंत्री, राजस्थान निर्माण मजदूर संगठन 35, धूलेश्वर बाग, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर
11. श्री अनुराग शर्मा, उपाध्यक्ष, राजस्थान बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स एसोसिएशन 301, अनुकम्पा मैशन-प, एम. आई. रोड, जयपुर
12. श्री नरेन्द्र सोलंकी, अध्यक्ष, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नयापुरा, गली नं04, मण्डोर, जोधपुर
13. श्री एस.पी. गोयल, प्रबन्ध समिति सदस्य, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया 6-बी, श्रीजी चैम्बर्स पुरोहित गार्डन, न्यू कॉलोनी, जयपुर
14. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी
15. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
 क्रमांक एफ.18(1)श्रम/भ.नि.क.मं./2010 जयपुर, दिनांक: 11 जनवरी, 2010

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या-27) की धारा 12 की उपधारा (2) तथा राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम, 2009 के अंतर्गत निर्माण कर्मकारों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीयन करने तथा उन्हें परिचय पत्र जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर से निम्नलिखित को प्राधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिये नियुक्त किया गया है।
1.	समस्त संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय	सम्पूर्ण राजस्थान
2.	समस्त उप श्रम आयुक्त, मुख्यालय	सम्पूर्ण राजस्थान
3	समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मुख्यालय	सम्पूर्ण राजस्थान
4	समस्त श्रम कल्याण अधिकारी, मुख्यालय	सम्पूर्ण राजस्थान
5	संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, जयपुर	जयपुर जिला
6	संयुक्त /सहायक श्रम आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर एवं जैसलमेर जिला
7	संयुक्त /सहायक श्रम आयुक्त, कोटा	कोटा जिला
8	संयुक्त /सहायक श्रम आयुक्त उदयपुर	उदयपुर जिला
9	संयुक्त /सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर	अजमेर जिला (ब्यावर व मसूदा उपखण्ड को छोड़कर)
10	संयुक्त श्रम आयुक्त /श्रम कल्याण अधिकारी, बीकानेर	बीकानेर जिला
11	संयुक्त श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, भरतपुर	भरतपुर जिला
12	उप श्रम आयुक्त,/श्रम कल्याण अधिकारी अलवर	अलवर जिला
13	उप श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी भीलवाडा	भीलवाडा जिला
14	उप श्रम आयुक्त, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिला
15	उप श्रम आयुक्त,/श्रम कल्याण अधिकारी श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर जिला
16	उप श्रम आयुक्त, पाली	पाली जिला

17	सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाडा	बांसवाडा जिला
18	सहायक श्रम आयुक्त, नागौर	नागौर जिला
19	सहायक श्रम आयुक्त, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर एवं करौली जिला
20	सहायक श्रम आयुक्त, सीकर	सीकर जिला
21	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक	टोंक जिला
22	श्रम कल्याण अधिकारी, सिरोही	सिरोही जिला
23	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर एवं मसूदा उपखण्ड
24	श्रम कल्याण अधिकारी, बाडमेर	बाडमेर जिला
25	श्रम कल्याण अधिकारी, बांरा	बांरा जिला
26	श्रम कल्याण अधिकारी, बून्दी	बून्दी जिला
27	श्रम कल्याण अधिकारी, चूरु	चूरु जिला
28	श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा	दौसा जिला
29	श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर	धौलपुर जिला
30	श्रम कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर	डूंगरपुर जिला
31	श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ	हनुमानगढ जिला
32	श्रम कल्याण अधिकारी, जालौर	जालौर जिला
33	श्रम कल्याण अधिकारी, झालावाड	झालावाड
34	श्रम कल्याण अधिकारी, झुन्झुनु	झुन्झुनु जिला
35	श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द	राजसमन्द जिला
36	समस्त श्रम निरीक्षक, जयपुर	जयपुर जिला
37	समस्त श्रम निरीक्षक, जोधपुर	जोधपुर एवं जैसलमेर जिला
38	समस्त श्रम निरीक्षक, कोटा	कोटा जिला
39	समस्त श्रम निरीक्षक, उदयपुर	उदयपुर जिला
40	समस्त श्रम निरीक्षक, अजमेर	अजमेर जिला (ब्यावर व मसूदा उपखण्ड को छोडकर)
41	समस्त श्रम निरीक्षक, बीकानेर	बीकानेर जिला
42	समस्त श्रम निरीक्षक, भरतपुर	भरतपुर जिला
43	समस्त श्रम निरीक्षक, अलवर	अलवर जिला
44	समस्त श्रम निरीक्षक, भीलवाडा	भीलवाडा जिला
45	समस्त श्रम निरीक्षक, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ एवं प्रतापगढ जिला
46	समस्त श्रम निरीक्षक, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर जिला
47	समस्त श्रम निरीक्षक, पाली	पाली जिला
48	समस्त श्रम निरीक्षक, बांसवाडा	बांसवाडा जिला
49	समस्त श्रम निरीक्षक, नागौर	नागौर जिला
50	समस्त श्रम निरीक्षक, सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर एवं करौली जिला
51	समस्त श्रम निरीक्षक, सीकर	सीकर जिला
52	समस्त श्रम निरीक्षक, टोंक	टोंक जिला
53	समस्त श्रम निरीक्षक, सिरोही	सिरोही जिला
54	समस्त श्रम निरीक्षक, ब्यावर	ब्यावर एवं मसूदा उपखण्ड
55	समस्त श्रम निरीक्षक, बाडमेर	बाडमेर जिला
56	समस्त श्रम निरीक्षक, बांरा	बांरा जिला
57	समस्त श्रम निरीक्षक, बून्दी	बून्दी जिला
58	समस्त श्रम निरीक्षक, चूरु	चूरु जिला

59	समस्त श्रम निरीक्षक, दौसा	दौसा जिला
60	समस्त श्रम निरीक्षक, धौलपुर	धौलपुर जिला
61	समस्त श्रम निरीक्षक, डूंगरपुर	डूंगरपुर जिला
62	समस्त श्रम निरीक्षक, हनुमानगढ	हनुमानगढ जिला
63	समस्त श्रम निरीक्षक, जालौर	जालौर जिला
64	समस्त श्रम निरीक्षक, झालावाड	झालावाड
65	समस्त श्रम निरीक्षक, झुन्झुनु	झुन्झुनु जिला
66	समस्त श्रम निरीक्षक, राजसमन्द	राजसमन्द जिला

(सुबीर कुमार)
 श्रम आयुक्त एवं
 सचिव, राजस्थान भवन एवं अन्य
 संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल,
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.18(1)श्रमभ.नि./क.मं./2010
 प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 11 जनवरी, 2010

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

श्रम आयुक्त एवं
 सचिव, राजस्थान भवन एवं अन्य
 संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल,
 राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक: 08 जून, 2010

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) की धारा 3 के प्रयोजनार्थ एवं सपठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (एफ) के अनुसरण में एवं इस विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.7.2009 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.9.2009 में हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

संशोधन

क्रम संख्या 11 के कॉलम सं0 2 में अंकित शब्द "उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर" के स्थान पर "श्रम कल्याण अधिकारी, श्रीगंगानगर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाते हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ 13(7)श्रम/विधि/2009/
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 08 जून, 2010

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
1. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक: 08 जून, 2010

अधिसूचना

Hkou ,oa vU; lafuekZ.k deZdkj dY;k.k midj vf/kfu;e] 1996 ¼1996 dk dsUnzh; vf/kfu;e la[;k 28½ dh /kkjk 5 ds iz;kstukFkZ lifBr Hkou ,oa vU; lafuekZ.k deZdkj dY;k.k midj fu;e] 1998 ds fu;e 2 ds [k.M ¼th½ ds vuqlj.k esa एवं इस विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.7.2009 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.9.2009 में हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

संशोधन

क्रम संख्या 11 के कॉलम सं0 2 में अंकित शब्द "उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर" के स्थान पर "श्रम कल्याण अधिकारी, श्रीगंगानगर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाते हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 08 जून, 2010

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
4. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
5. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
2. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक: 08 जून, 2010

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) की धारा 3 के प्रयोजनार्थ एवं सपठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (एफ) के अनुसरण में एवं इस विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8.6.2010 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 28.9.2010 में हुआ है, जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.7.2009 की क्रम सं. 11 के कलाम सं. 2 में अंकित "उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर" के स्थान पर "श्रम कल्याण अधिकारी, श्रीगंगानगर" प्रतिस्थापित किया गया है, को निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ 13(7)श्रम/विधि/2009/
प्रतिलिपि:—

जयपुर, दिनांक: 08 जून, 2010

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. संयुक्त सचिव, राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ 13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक: 26 जुलाई, 2010

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) की धारा 3 के प्रयोजनार्थ एवं सपटित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड(एफ) के अनुसरण में इस विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.7.09 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र भाग-1 (क) विशेषांक दिनांक 17.9.2009 में हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

संशोधन

1. क्रम संख्या 3 के कॉलम सं० 3 में अंकित शब्द "जोधपुर एवं जैसलमेर जिला" में से "एवं जैसलमेर" शब्द हटाए जाते हैं।
2. क्रम संख्या 10 के कॉलम सं० 3 में अंकित शब्द "चित्तोड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिला" में से "एवं प्रतापगढ़" शब्द हटाए जाते हैं।
3. क्र.सं. 31 के पश्चात् क्रम सं० 32 एवं 33 निम्नानुसार और जोड़ी जाती है।

क्र. सं.	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया गया है।
32	श्रम कल्याण अधिकारी, जैसलमेर	जैसलमेर जिला
33	श्रम कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ 13(7)श्रम/विधि/2009/
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 26 जुलाई, 2010

- 1.निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को मय सीडी के साथ राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
 1. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
 2. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या-27) की धारा- 42 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उनके पदनाम के समक्ष अंकित क्षेत्र के लिए एतद्द्वारा "निरीक्षक" (Inspector) नियुक्त करती है :-

क्र०सं० 1	अधिकारी 2	क्षेत्र जिसके लिये नियुक्त किया गया है। 3
1	श्रम कल्याण अधिकारी, जैसलमेर	जैसलमेर जिला
2	समस्त श्रम निरीक्षक, जैसलमेर	जैसलमेर जिला
3	श्रम कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ जिला
4	समस्त श्रम निरीक्षक, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
3. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
4. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
5. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक: 14 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) की धारा 3 के प्रयोजनार्थ एवं सपटित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (एफ) के अनुसरण में एवं इस विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.7.2009 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.9.2009 में हुआ है तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.7.2010 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

संशोधन

1. क्रम संख्या 18 के कॉलम सं0 3 में अंकित शब्द "सवाईमाधोपुर एवं करौली जिला" में से "एवं करौली" शब्द हटाये जाते हैं।
2. क्रम संख्या 33 के पश्चात् क्रम संख्या-34 निम्नानुसार और जोड़ी जाती है।

क्रं.सं.	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया गया है।
34	श्रम कल्याण अधिकारी, करौली	करौली जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ 13(7)श्रम/विधि/2009/
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 14 सितम्बर, 2010

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक: 14 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) की धारा 5 के प्रयोजनार्थ सपटित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (जी) के अनुसरण में एवं इस विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.7.2009 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.9.2009 में हुआ है, तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.7.2010 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

संशोधन

1. क्रम संख्या 18 के कॉलम सं0 3 में अंकित शब्द "सवाईमाधोपुर एवं करौली जिला" में से "एवं करौली" शब्द हटाये जाते हैं।
2. क्रम संख्या 33 के पश्चात् क्रम संख्या-34 निम्नानुसार और जोड़ी जाती है।

क्र.सं.	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया गया है।
34	श्रम कल्याण अधिकारी, करौली	करौली जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 14 सितम्बर, 2010

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक: 14 सितम्बर, 2010:

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 27) की धारा 6 (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.7.2009 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.9.2009 में हुआ है तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.7.2010 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

संशोधन

1. क्रम संख्या 16 के कॉलम सं० 3 में अंकित शब्द "सवाईमाधोपुर एवं करौली जिला" में से "एवं करौली" शब्द हटाये जाते हैं।
2. क्रम संख्या 34 के पश्चात् क्रम संख्या-35 निम्नानुसार और जोड़ी जाती है।

क्र.सं.	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया गया है।
35	श्रम कल्याण अधिकारी, करौली	करौली जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक: 14 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक: 14 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 27) की धारा 42 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उनके पदनाम के समक्ष अंकित क्षेत्र के लिए एतद्द्वारा "निरीक्षक" (Inspector) नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया गया है।
1	श्रम कल्याण अधिकारी, करौली	करौली जिला
2	समस्त श्रम निरीक्षक, करौली	करौली जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 14 सितम्बर, 2010

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त,.....
3. श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम निरीक्षक,.....
4. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक एफ.13(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक: 01 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या-27) की धारा- 42 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त करने की इस विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दि० 14.7.2009, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दि० 17.9.2009 में हुआ है, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

संशोधन

क्रम संख्या 63 के पश्चात् निम्न विवरण क्रम संख्या 64 पर सम्मिलित किया जाता है-

क्र.सं. 1	अधिकारी 2	क्षेत्र जिसके लिये नियुक्त किया गया है। 3
64	समस्त उप मुख्य/वरिष्ठ/कारखाना निरीक्षक	उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर (सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपायों के उपबन्ध के लिए)

राज्यपाल के आदेश से,

(अंजना दीक्षित)

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

क्रमांक:एफ13(7)श्रम/विधि/2009/

जयपुर, दिनांक: 01 नवम्बर, 2010

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ मय सीडी ।
2. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. समस्त उप मुख्य/वरिष्ठ/कारखाना निरीक्षक.....
4. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....
5. श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम निरीक्षक,.....
6. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव

